हेमराज

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय :– उपखण्ड अधिकारी फागी बनाम राज्य सरकार व अन्य

केस संख्या:– 33/2025 विविध

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	बार-बार आवाज लगवाने के बावजूद ना तो प्रतिवादीगण ना ही उनके कोई प्रतिनिधि आज दिन तक हाजिर अदालत आये। अतः ② लगा. ⑦ के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की अमल में लाई जाती है। तहसीलदार का जवाब प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस 6/11/25 को पेश हो। 31/X/25 उपखण्ड अधिकारी फागी	
6/11/25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप०। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 10/11/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फागी	
10/11/25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप०। आदेश सुनाया जाता है प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित किया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजि० से कम हो दाखिल दफ्तर रहे। उपखण्ड अधिकारी फागी	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु0नं0 :— 333 / 2025
निर्णय दिनांक :— 10.11.2025
बइजलास :— राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. हेमराज पुत्र श्री रामकरण उम्र 35 वर्ष जाति बलाई नि0 शेरपुरा तह0 फागी जिला जयपुर राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर राज0।
2. राजू पुत्र श्री रामकरण
3. मुकेश पुत्र श्री रामकरण
4. बदाम देवी पत्नि श्री रामकरण
5. रामसहाय पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण
6. श्रवण पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण समस्त जाति बलाई नि0 शेरपुरा तह0 फागी जिला जयपुर राज0
7. शाखा प्रबंधक भूमि विकास बैंक शाखा जयपुर जिला जयपुर राज0।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :— श्री सुरेन्द्र कुमार टेलर वकील प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक:— 10.11.2025

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है विवादग्रस्त जमाबंदी संवत 2072—2075 के खाता सं० 180 के आराज़ी ख० नं0 1274 / 219 रकबा 0.3035 है ख0न0 221 रकबा 0.9104 है ख0न0 226 रकबा 0.3541 है ख0न0 230 रकबा 0. 3161 है ख०न० 235 / 2 रकबा 0.0632 है ख0न0 557 रकबा 0.2150 है ख0न0 564 रकबा 0.5184 है ख0न0 606 रकबा 0.3035 है कुल किता 8 कुल रकबा 2.9842 है। वाके ग्राम कांसेल तह० फागी जिला जयपुर में स्थित है जिसकी वर्तमान खातेदारी अप्रार्थी सं० 5 व 6 के दर्ज है जो की गलत है। जमाबंदी संवत 2056 से 2059 के खाता सं० 132 के अनुसार साबिक़ ख0न0 219 / 1, 221, 226, 230, 235 / 2, 557, 564, 606 कुल किता 8 कुल रकबा 11 बीधा 16 बिस्वा की खातेदारी लक्ष्मीनारायण पुत्र रामदेव जाति बलाई सा० देह राहीन जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि० जयपुर दर्ज रिकार्ड है। तत्पश्चात जमाबंदी सवत 2060 से 2063 के खाता सं० 133

उपखण्ड अधिकारी
फागी

ग्राम कांसेल की खातेदारी भी पूर्ववर्ती इन्द्राज राजस्व रिकार्ड रहा है। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2064 से 2067 के खाता सं० 151 के अनुरूप पूर्ववर्ती इन्द्राज खातेदारी रहे है। जमाबंदी संवत 2068 से 2071 के खाता सं0 161 ग्राम कांसेल वर्णित खातेदारी प्रार्थना पत्र के मद सं० 1 में नामान्तकरण सं० 636 दिनांक 10.12.2014 को खातेदार लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री रामदेव जो की प्रार्थी के दादा थे का विरासत नामान्तकरण रामकरण रामसहाय, श्रवण, पिता लक्ष्मीनारायण, सायर देवी पुत्री लक्ष्मीनारायण, जाति बलाई सा० देह दर्ज रिकार्ड रहा है। तत्पश्चात नामान्तकरण सं0 672 दिनांक 20.01.2015 के द्वारा हकत्यागपत्र से खातेदार सायर देवी पुत्री लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/4 के बजाये अप्रार्थी 5 व 6 के हक में खातेदारी दर्ज कि गयी है। जो की रिकार्ड से प्रमाणित है। संवत 2068 से 2071 के पश्चातवर्ती जमाबंदी संवत 2072 से 2075 के खाता सं० 180 पटवार हल्का कांसेल द्वारा तैयार की गयी है। जिसमें पश्चातवर्ती जमाबंदी संवत 2068 से 2071 के खाता सं० 161 में दर्ज इन्द्राज के विपरीत मन मर्जी से अवैधानिक एंव त्रुटीपूर्ण इन्द्राज प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं० 2 ल० 4 के पिता / पति रामकरण पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/4 की खातेदारी का अंकन व इन्द्राज त्रुटीवश छोडते हुये हिस्सा 1/2 रामसहाय अप्रार्थी सं० 5 एंव हिस्सा 1/2 श्रवण अप्रार्थी सं० 6 के दर्ज कर दिया गया है। जो की त्रुटीपूर्ण अवैधानिक व गलग अंकन खातेदारी एवं हिस्से का कर दिया गया है तथा प्रार्थी के पिता रामकरण के नाम दर्ज खातेदारी व हिस्सा विलोपित कर दिया गया है। जो की पुनः दुरूस्त फरमाया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी के पिता रामकरण का स्वर्गवास हो चुका है। जिसका प्रार्थी एंव अप्रार्थी स० 2 ल० 4 विधिक वारिस एवं उत्तराधिकारी है। अप्रार्थी सं० 2 ल० 4 वरवक्त प्रार्थना पत्र दायरी बाहर होने से तरतीबी पक्षकार कायम किया गया है तथा प्रार्थी की बहन मनिषा, ममता, एव गोविन्दी द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी सं० 2 ल० 4 के पक्ष में अग्रीम हकत्याग कर दिया गया है। उक्त इन्द्राज दूरूस्त करने से राज्य सरकार के हित प्रभावित नहीं होते है तथा उक्त प्रविष्ठी रिकोर्ड के अनुरूप दूरूस्त किया जाना न्यायौचित एवं आवश्यक है। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा देय लाभों परिलाभो से वंचित होना पड रहा है। उक्त गलत इन्द्राज की प्रथम बार जानकारी दिनांक 01.08.2025 को प्रार्थी को पटवार हल्का से होने पर प्रार्थी ने अप्रार्थी सं० 1 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया परन्तु अप्रार्थी सं० 1 ने इन्द्राज दुरूस्त करने से स्पष्ट इंकार कर दिया तथा न्यायालय के समक्ष चाराजोही करने की हिदायत दी। इसलिये प्रार्थना पत्र अविलम्ब प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रर्याप्त न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। श्रीमान को श्रवणाधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 2 लगायत 7 बाद तामिल न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इसलिए अप्रार्थी सं0 2 लगायत 7 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी सं0 1 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए तथा जबाब पेश किया। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब के तथ्यों में बताया कि वर्तमान जमाबंदी ग्राम कांसेल के खाता सं. 180 ख.नं. 1247/219 किता 8 कुल रकबा 2.9842 खातेदार रामसहाय पुत्र लक्ष्मीनारायण, श्रवण पुत्र लक्ष्मी नारायण हि0 1/2+1/2 राजस्व रिकार्ड दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
फागी

है। वर्तमान जमाबंदी मे दिनांक 02.02.2015 तहसील आदेश अनुसार न्यायालय एसडीएम फागी का स्थगन है। जमाबंदी सम्वत 2056–59 खाता सं. 132 का ख0नं0 219 / 1 किता 8 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा वादी हेमराज पुत्र रामकरण जाति बलाई के दादा लक्ष्मीनारायण पुत्र रामदेव खाता सं0 133 ग्राम कांसेल ख0नं0 219 / 1 किता 8 रकबा 11–16 बिस्वा सम्वत 2056–59 के समान चली आ रही थी सम्वत 2064–67 मे भी समान खातेदार के खातेदारी दर्ज रिकार्ड थी। लक्ष्मीनारयण पुत्र रामदेव जाति बलाई का दिनांक 03.01.2023 लक्ष्मीनारायण पुत्र रामदेव की पत्नी ज्वाना देवी का पूर्व में दिनांक 25.05.1978 को स्वर्गवास हो गया था पश्चात नामान्तकरण सं. 636 से लक्ष्मीनारायण की विरासत अमल में आयी व वारिसान रामकरण, रामसहाय, श्रवण पिता लक्ष्मीनारायण, सायर पुत्री लक्ष्मीनारायण के दर्ज हुआ। तत्पश्चात नामान्तकरण सं. 672 दिनांक 20.01.2015 के द्वारा सायर देवी पुत्री लक्ष्मीनारायण द्वारा अपने सगे भाईयो श्रवण, रामसहाय को अपनी 1 / 4 हिस्सा अर्थात प्रत्येक को 1 / 8 , 1 / 8 हिस्से का हकत्याग किया गया व दिनांक 02.02.2015 लगभग 15 दिवस पश्चात ही उक्त खाता सं0 व ख0नं0 1247 / 219 किता 8 रकबा 2.9842 पर जमाबंदी में स्थगन दर्ज किया गया इस बीच में रामकरण पुत्र लक्ष्मीनारायण द्वारा अपना हिस्सा अपने भाईयो श्रवण, रामसहाय को किसी भी तरीके से हकत्याग, उपहार, बेचान, दान नही किया गया। सम्वत 2068–2071 की जमाबंदी मे प्रार्थी श्रवण लाल, रामसहाय पुत्र लक्ष्मीनारायण का हिस्सा 03 / 08 + 03 / 08 = 03 / 04 व रामकरण पुत्र लक्ष्मीनारायण का हिस्सा 1 / 4 दर्ज रिकार्ड था जमाबंदी सम्वत 2072–2075 में सहवन से रामकरण पुत्र लक्ष्मीनारायण का हिस्सा 1 / 4 हटाते हुए श्रवण पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1 / 2 व रामसहाय पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1 / 2 हो गया जो गलत है। अतः शुद्ध किया जाना उचित है।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती का अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 के तहत पेश किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 वाके ग्राम कांसेल मे स्थित खसरा नं. 180 में प्रार्थीगण सं0 5 व 6 रिकार्डड सहखातेदार है। मुताबिक तहसीलदार फागी की रिपोर्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी

[illegible] बनाम राज्य सरकार वगैरह
मुकदमा– 332/2025
निर्णय दिनांक– 10.11.2025

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता सं. 180 ख0नं0 1274/219 रकबा 0.3035 है0 ख0नं0 221 रकबा 0.9104 है0 ख0नं0 226 रकबा 0.3541 है0 ख0नं0 230 रकबा 0.3161 है0 ख0नं0 235/2 रकबा 0.0632 है0 ख0नं0 557 रकबा 0.2150 है0 ख0नं0 564 रकबा 0.5184 है0 ख0नं0 606 रकबा 0.3035 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 2.9642 हैक्टेयर वाके ग्राम कारोला तहसील फागी जिला जयपुर में दर्ज अंकन रामसहाय पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/2 व श्रवण पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/2 हजफ फरमाया जाकर रामकरण पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/4, रामसहाय व श्रवण पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 3/4 प्रतिस्थापित कर इन्द्राज दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को खुले इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार ..)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

सत्यमेव जयते